झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

द्वितीय-सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 18.03.2015 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	सर्वश्री दीपक बिरूवा, योगेन्द्र प्रसाद एवं श्री दशरथ गागरई स0वि0स0	प0 सिंहभूम जिला के सदर अंचलान्तर्गत मौजा- टोन्टो, थाना नं0- 650 स्थित खाता नं0- 234 एवं 235 कुल रकवा 4.89 एकड़ भूमि का अधिग्रहण लोकहित में करने की अधिसूचना 29.10.2010 को जारी की गई थी। परन्तु भू- अधिग्रहण संबंधी कार्रवाई नहीं ली जाने के कारण उपरोक्त विषयांक मुद्दा, विधान सभा के अ0सू0प्र0सं0- 34 के द्वारा दिनांक- 28.02.2014 को विधान सभा में उठाया गया और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक- 10बी/भू0 अ0 नि0 वि0 स0 (अ0सू0) 38/14-58 /नि0रा0, राँची, दिनांक- 26.02.2014 के तहत् सरकार ने यह स्वीकार करते हुए कहा कि "भू-अर्जन अधिनियम के तहत् अधिसूचना निर्गत होने के उपरांत ही भूमि की खरीद बिक्री प्रतिबंधित होता है" लेकिन Sale Deed सं0- 717, दिनांक- 26.09.2014 को उक्त वर्णित खाता में से 0.45 डी0 भूमि श्री नीरज कुमार, पिता- श्री देवशरण प्रसाद के नाम से खरीद बिक्री किया गया है। अतएव उक्त खरीद बिक्री को रद्द करते हुए सरकार द्वारा दिये गये आदेश के विरूद्ध कार्य करने वाले संलिप्त पदा0/कर्म0 पर कानुनी कार्रवाई एवं लोकहित में भू-अधिग्रहण का कार्य अभिलम्ब प्रारम्भ करने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	राजस्व एवं भूमि सुधार

01.	02.	03.	04.
02-	श्रीमती बिमला प्रधान एवं श्रीमती गंगोत्री कुजूर स0वि0स0	झारखण्ड प्रदेश में 10+2 विद्यालय 230 एवं 154 प्रस्वीकृति प्राप्त इन्टरमहाविद्यालय है जिसमें सामाजिक विज्ञान के बिषयों में मनोविज्ञान, मानवशास्त्र, समाजशात्र, दर्शनशास्त्र, गृहविज्ञान, क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई शिक्षकों की कमी के कारण नहीं हो पा रही है। जब कि झारखण्ड अधिविद्य परिषद् राँची के द्वारा 10+2 एवं इन्टरमहाविद्यालय की परीक्षा में इन सारे बिषयों की परीक्षा ली जा रही है। अतः इन विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति की जाने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ।	मानव संसाधन विकास
03-	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी एवं श्री नागेन्द्र महतो स0वि0स0	गिरिडीह विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत गिरिडीह प्रखण्ड के पतरोडीह, परातडीह, डाडेडीह, अकदोनीकला, अगदोनीखुर्द, जोगीटांड, चैताडीह, बक्सीडीह एवं भण्डारीडीह पंचायत वर्षो से अति पिछड़ा बाहुल्य क्षेत्र रहा है। जो सी0सी0एल0 (Non Coal Bearing Aare) के अधीन होने के कारण केन्द्र व राज्य सरकार के जनोपयोगी योजनाओं के लाभ से वंचित है। उल्लेखनीय है कि उक्त सभी पंचायतों में सी0सी0एल0 द्वारा उत्खनन का कार्य लगभग 25 वर्षो से बंद है। साथ ही साथ उक्त सभी पंचायतों की कुल आबादी लगभग 50 हजार के करीब होने के साथ-साथ उक्त क्षेत्र के मतदाता के साथ-साथ मूल रैयत भी है परन्तु उक्त क्षेत्र के लोग सरकार की योजनाऐं जैसेः- इन्दिरा आवास, मनरेगा, आदि के साथ-साथ आवासीय व जाति प्रमाण-पत्र लेने में वंचित है। इतना ही नहीं विधायक निधि से भी छोटे-छोटे कार्य कराने के लिए वहाँ एन0ओ0सी0 लेना पड़ता है जिसमें भी भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अतः इन कठिनाईयों को दूर करने हेतु उचित कदम उठाने के लिए मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	खनन एवं भूतत्व

कृ0पृ0उ0

01.	02.	03.	04.
04-	श्री केदार हजरा एवं श्री रामचन्द्र सहिस स0वि0स0	झारखण्ड राज्य बनने के बाद कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के लिए 10% आरक्षण निर्धारित किया गया लेकिन विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाह के कारण अबतक यथा निर्धारित आरक्षण का लाभ कर्मचारियों-पदाधिकारियों तथा राज्य के अभियन्ताओं को नहीं दिया जा रहा है। अतः मैं सरकार से निर्धारित आरक्षण नीति, जो अनुसूचित जाति के लिए लागू है, उसे पूरे राज्य में अर्हताधारी कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों तथा अभियन्ताओं को लाभ दिलाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
05-	सर्वश्री राज सिन्हा, बिरंची नारायण एवं श्री अरूप चटर्जी स0वि0स0	धनबाद झारखण्ड की आर्थिक राजधानी के रूप में जानी जाती है तथापि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी इसकी उल्लेखनीय पहचान बन चुकी है, यहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज के साथ-साथ भारतीय खनिज विद्यापीठ जैसा गौरव पूर्ण शैक्षणिक संस्थान एवं दर्जनों महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय और महत्वपूर्ण शोध संस्थान है। धनबाद में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्व विद्यालय की स्थापना के लिए लगभग तीन दशक से मांग उठती रही है, जिसमें प्रायः सभी राजनीतिक एवं गैर-राजनीतिक संगठन से जुड़े प्रबुद्धजन शामिल रहे है। विगत की सरकारें भी उक्त मांग के प्रति गंभीर रही हैं, बावजूद इसके विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्व विद्यालय की स्थापना नहीं हो सकी है, जिसके कारण इस क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों के हजारों विद्यार्थी एवं प्रध्यापक कुंठित है। वर्त्तमान समय में कार्यालय संबंधी विभिन्न औपचारिकाताओं को पूरी करने के लिए उन्हें लगभग 125 कि0मी0 की दूर विनोबा भावे विश्व विद्यालय के हजारीबाग स्थित कार्यालय का चक्कर काटना पड़ता है जो आवागमन की दृष्टि से तो खर्चीला है ही छात्रों एवं प्रध्यापकों का अनावश्यक समय भी बर्बाद करने वाला है। प्रस्तावित विश्व विद्यालय सारी अर्हताओं को पूर्ण करता है धनबाद स्मार्ट सिटी की सूची में भी शामिल है। चूंकि यह इस क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित मांग है तथा अब यहाँ के लोगों ने इसे सार्वजनिक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है,	मानव संसाधन विकास

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
		अतः समय रहते यदि इस पर त्वरित कार्रवाई न की गयी तो यह एक व्यापक जनान्दोलन का रूप भी ले सकता है। अतः चालू वित्तीय वर्ष में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्व विद्यालय की स्थापना करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।	

राँची
दिनांक- 18 मार्च, 2015 ई0।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0प्र0 एवं अना0प्र0-02/2015-1415/वि0स0,राँची,दिनांक- 17/3/15

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/ मानव संसाधन विकास विभाग/ खनन एवं भूतत्व विभाग एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/15

(छोटेलाल टुडू)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0प्र0 एवं अना0प्र0-02/2015-1415/वि0स0,राँची,दिनांक- 17/3/15

प्रतिः-. आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

17/3/15

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष

17.03.15